>

Title: Need to transfer 'Shanan Power House' in Jogindernagar, Himachal Pradesh to the Government of Himachal Pradesh and also settle outstanding dues amounting to Rs. 11,000/- crores to the State.

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): सभापति जी, भारत देश को आज़ाद हुए 64 वर्ष हो गए हैं, लेकिन खेद है कि हिमाचल प्रदेश स्थित शानन पॉवर हाऊस आज भी गुलाम है। सन् 1922 में तत्कालीन मण्डी रियासत के राजा का ब्रिटिश सरकार के कर्नल बैटी के मध्यम समझौते के अंतर्गत सन् 1932 में यह पॉवर हॉऊस बन गया तथा सन् 1933 में लाहौर में तत्कालीन वायसरॉय ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। 1947 में देश आजाद हो गया तथा मण्डी के राजा का भी देहांत हो गया। आजाद भारत में रजवाड़ाशाही भी समाप्त कर दी गई। इसलिए सन् 1922 के इस समझौते को अपने आप ही समाप्त हुआ समझा जाना चाहिए था। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि इस पॉवर हाऊस का स्वामित्व हिमाचल प्रदेश को आज तक भी नहीं दिया गया है। जबकि यह हिमाचल प्रदेश के जोगेन्द्रनगर में स्थित है। विचित्र बात यह है कि इसकी भूमि भी हिमाचल प्रदेश की है और पानी भी हिमाचल प्रदेश का है परन्तु स्वामित्व हिमाचल प्रदेश का नहीं है। इस अन्याय के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों में भारी आक्रोश है जो निरंतर बढ़ रहा है।

सभापति जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस वर्ष के रेलवे बजट की हुई चर्चा पर बोलते हुए भी मैंने हिमाचल प्रदेश के साथ हो रहे अन्याय की चर्चा की थी। इस पहाड़ी राज्य में सात नई रेलवे लाईनें बिछाने सहित शानन पॉवर हाऊस, भाखड़ा नंगल डैम, बीएसएल व पोंग बांध से उत्पन्न बिजली पर स्वामित्व तथा एरियर के रूप में अरबों रूपयों की मांग भी की थी। हिमाच प्रदेश से उत्पन्न नदियों के जल पर हिमाचल प्रदेश का स्वामित्व एवं वन सम्पदा व वायु पर रॉयल्टी भी माँगी थी। प्रदेश के दो लाख से ज्यादा सेवारत, सेवानिवृत व शहीद परिवारों के लिए स्पेशल पैकेज भी मांगा था। यह अधिकार न मिलने पर निर्णायक आंदोलन व सत्याग्रह के बारे में चेतावनी भी दी थी। परंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग तीन वर्ष गुज़रने के बाद भी इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है।

इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता मजबूर होकर इस संघर्ष के प्रथम चरण में 15 अगस्त 2011 को शानन प्रोजेक्ट को आजाद करवाकर अपने हाथ में लेने तथा 11,000 करोड़ का बकाया लेने हेतु सांकेतिक धरना दे रही है। इसलिए भारत सरकार से प्रार्थना है कि तुरन्त इस पावर हाउस का स्वामित्व हिमाचल प्रदेश को दे दिया जाये तथा अब तक के बकाया के रूप में अनुमानित राशि लगभग 11,000 करोड़ रूपये का भुगतान भी इस पहाड़ी राज्य को तुरन्त दे दिया जाये। जिससे प्रदेश के लगभग 9 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने, कर्मचारियों व मजदूरों के वेतन, भत्ते व बकाया देने सहित भविष्य में राज्य द्वारा स्वयं ही विद्युत दोहन करने व विकास कर आर्थिक मजबूती प्राप्त करने में मदद मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : क्या इस पर पाकिस्तान का स्वामित्व है? शानन प्रोजेक्ट पर किसका स्वामित्व है?

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): महोदय, इस पर अलग-अलग राज्यों का स्वामित्व दिया हुआ है, जिनका कोई लिंक ही नहीं है।

सभापति महोदय : अच्छा दूसरे राज्यों का।

डॉ. राजन सुशान्त : जी महोदय।

सभापति महोदय : तब तो देश के अन्दर की बात है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने आपको डॉ. राजन सुशान्त जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।